

20-98

सिपोर्ट पटवारी तहसील/मुद्रागोडजी
आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई। निम्नलिखित अनुसार

महोदय-
प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेज आधार काट माहारा पटवारी पर परिवार रजिस्ट्रार कार्ड के आधार पर राजू कु वीरराम के नाम से लोन पु धासीराम किया जाता अभिलेख

कामालेख तहसीलदार, उदयपुरवाटी/मुद्रागोडजी
दिनांक 15/12/24

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को पत्रित कर निकलन हे कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाता उचित है/ उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की प्रतियोगी की जाती है/ नहीं की जाती है।

उक्तत किया जाता उचित है
15/12/24

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/मुद्रागोडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुद्रुनु (राज.)

-- आदेश --

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मु0अ0) उदयपुरवाटी/मुद्रागोडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नलिखित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मु0अ0) उदयपुरवाटी/मुद्रागोडजी को राजस्व रिकार्ड में अन्त दरामट के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	पापडा/वहो	2675-76	153 189	राजू कु धीरराम	राजेश लोन पु धासीराम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

15/12/24
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 15/12/24

क्रमांक :- राजस्व/2020/2360
प्रतिलिपि :-

- 1. तहसीलदार (मु0अ0) उदयपुरवाटी/मुद्रागोडजी को वारंते पालनार्थ।
- 2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

15/12/24
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

